

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)..

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./.....544.....

बिलासपुर, दिनांक 05/02/24

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर(छ.ग.)

विषय :- Diversion on 28.811 ha. (18.245 ha in Bilaspur Forest Division and 10.566 ha. In Marwahi Forest Division) of forest land of favour of M/s Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh for non-forest purpose Forest Conservation Act, 1980 proposed for Rehabilitation and Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under Corridor Scheme on SEP basis of Keonchi to Ratanpur Section NH-45 (Ex.) in Bilaspur and Marwahi Forest Division and District in the State of Chhattisgarh-reg.
पंजीयन क्रमांक- FP/CG/ROAD/126719/2021

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ का आदेश क्र./व.प्रा./प्रबंध-656/17 नवा रायपुर, दिनांक 19.01.2024

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन तथा पक्षी संवर्धन योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ के संदर्भ पत्र द्वारा किया गया है। योजना प्रस्ताव में किये गये प्रावधान अनुसार कुल राशि 197.516 लाख(रुपये एक करोड़ सन्तानवे लाख इक्यावन हजार छह सौ मात्र) (मरवाही वनमंडल हेतु रु. 57.904 लाख तथा बिलासपुर वनमंडल हेतु रु. 139.612 लाख) हेतु मांग पत्र जारी किया जाता है।

अतः आप कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल (<http://parivesh.nic.in>) द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा कर मूल चालान की प्राप्ति अभिरक्षक संलग्न करना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र की प्रति।

वनमंडलाधिकारी

बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 05/02/24

पृ.क्रमांक/तक./.....545.....

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर संदर्भित आदेश के तारतम्य में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर संदर्भित आदेश के तारतम्य में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर संदर्भित आदेश के तारतम्य में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल पेण्डारोड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

वनमंडलाधिकारी

बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)